



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

संभागीय कार्यालय, आई.आई.टी. कैम्पस, पवई, मुंबई 400076

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(Under Min. of Education, Govt. of India)

Regional Office: IIT Campus, Powai, Mumbai-400076.

दूरभाष/Tel. (022) 2572 8060/2328/6763/1614/0717 (EAPBX)

ई/मेल-E-mail : kvsmumbairegion@gmail.com

WEBSITE : <https://romumbai.kvs.gov.in>

F.N. 27331/KVS RO Mum/Acad/Admission/2024-25

दिनांक: 28.06.2024

ईमेल द्वारा

प्राचार्य

समस्त केन्द्रीय विद्यालय

मुंबई संभाग

विषय : स्थानीय स्थानांतरण 2024-25 की प्रक्रिया एवं आवेदन के संबंध में

सन्दर्भ : के.वि.सं. प्रवेश मार्गदर्शिका 2024-25 का भाग A, बिन्दु 7 (iii)

महोदया/महोदय,

के.वि.सं. प्रवेश मार्गदर्शिका 2024-25 के भाग A, बिन्दु 7 (iii) के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय टीसी के आधार पर स्थानीय स्थानांतरण के सभी प्रस्ताव उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा मैरिट के आधार पर निम्नलिखित नियम तथा प्रक्रिया के अनुसार किये जाएँगे :

1. In case of the allotment of Government Accommodation or shifting to own house to/by the parent (Priority Category I to IV in Civil/Defence KV and Priority Category I to V in Project/IHL KV) in previous /current academic session.
2. Circumstances, where Local Transfer is sought by the parent on the basis of Medical Urgency/serious illness of the student/parent.
3. Where sibling of the student is studying in the KV where admission is sought, in such case, the Deputy Commissioner of the Region will approve the Local Transfer in the either KV which has lesser class strength out of the KVs where siblings are studying.
4. In case of para 1 & 2 above, Local Transfer may be granted in the KV nearest to the Govt. accommodation/Own House within the class strength of 50. If class strength is beyond 50 then another nearest KV may be considered.

स्थानीय स्थानांतरण कि प्रक्रिया एवं समय सारणी निम्नानुसार होगी:

1. संलग्न स्थानीय स्थानांतरण आवेदन प्रपत्र अभिभावक की प्रार्थना पर वर्तमान विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. अभिभावक द्वारा इस प्रपत्र को चार प्रतियों में भरकर उस केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य को जमा किया जाए जहां वर्तमान में उनका बालक/बालिका अध्ययनरत है।
3. वर्तमान विद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवेदन की एक प्रति अपने रिकार्ड हेतु रखी जाए, कार्यालय रिकार्ड के अनुसार विवरणों की जांच की जाए, उन्हें रिकार्ड किया जाए एवं शेष प्रतियाँ उस केवि के प्राचार्य को भेजी जाए जहां अभिभावक बच्चे के प्रवेश के इच्छुक हो। एक प्रति अभिभावक को प्रपत्र की प्राप्ति की पावती हेतु दी जाए।

4. विद्यार्थी जिस केवि में प्रवेश लेने के इच्छुक है, वहाँ के प्राचार्य द्वारा आवेदन प्रपत्र की एक प्रति सभी दृष्टियों से पूर्ण करके अपनी टिप्पणी / तथ्यों/ आंकड़ों को देते हुए संकुल प्रभारी प्राचार्य को भेजी जाए एवं एक प्रति विद्यालय रिकार्ड हेतु रखी जाए। कृपया ध्यान रहे संकुल प्रभारी प्राचार्य को आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व वर्तमान में छात्रों की संख्या तथा अपनी संस्तुति अवश्य लिखें ताकि संकुल प्रभारी द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जा सके।
5. संकुल प्रभारी प्राचार्य समस्त आवेदनों की जांच कर संलग्न Excel Sheet में छात्रों का पूर्ण विवरण भरकर एवं संबंधित विद्यालय (जहां प्रवेश हेतु इच्छुक हैं) के प्राचार्य से चर्चा कर एवं उनके हस्ताक्षर के उपरान्त कारण सहित अपनी टिप्पणी (अनुमोदित / अनुमोदित नहीं) हार्ड कापी एवं Soft Copy आवेदन पत्रों के साथ नियत समय के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

क्षेत्रीय कार्यालय को संकुल प्रभारी प्राचार्यों से आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्रीय स्तर की स्थानीय स्थानांतरण समिति द्वारा विचार उपरांत अनुमोदित किए गए विद्यार्थियों की सूची संबंधित विद्यालयों को प्रेषित की जाएगी।

स्थानीय स्थानांतरण हेतु समय-सारिणी

क्र. सं.	विवरण	दिनांक
1.	अभिभावक द्वारा विद्यालय में फार्म सम्मिलित करने की तिथि	01.07.2024 से 15.07.2024
2.	वर्तमान विद्यालय द्वारा जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए उस विद्यालय में फार्म सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	18.07.2024
3.	विद्यालय (जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए) द्वारा पूर्ण दस्तावेजों की जांच एवं टिप्पणी के उपरांत संकुल प्रभारी प्राचार्य को फार्म सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	22.07.2024
4.	संकुल प्रभारी प्राचार्य द्वारा समस्त आवेदनों की जांच कर अपनी टिप्पणी के साथ फार्मों को क्षेत्रीय कार्यालय में सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	29.07.2024
5.	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूची विद्यालयों को प्रेषित करने की तिथि	07.08.2024

6. **07.08.2024** के बाद स्थानीय स्थानांतरण हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी अभिभावक का स्थानांतरण अथवा सरकारी आवास का आवंटन **07.08.2024** के उपरान्त होता है तो विद्यालय द्वारा फार्म स्वीकार किये जा सकते हैं एवं स्थानीय स्थानांतरण की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
7. कक्षा अध्यापकों के माध्यम से अभिभावकों को अवगत करायें ताकि इच्छुक एवं योग्य अभिभावकों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके। यह सूचना विद्यालय पट्ट एवं वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें।
8. किसी भी मामले में अभिभावक को अन्य दूसरे केवि या क्षेत्रीय कार्यालय में जाने अथवा संपर्क करने हेतु सलाह प्रदान न करें।
9. स्थानीय स्थानांतरण हेतु दी गयी समय-सारिणी का कड़ाई से पालन किया जाए।

नोट: कक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन 50 से कम होने पर ही स्थानीय स्थानांतरण के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

भवदीया,

शाहिदा
(शाहिदा परवीन)
उपायुक्त